

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-785/2008/जयपुर

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन  
राजस्थान वृत्त द्वितीय जयपुर  
बनाम

...अपीलार्थी

मैसर्स श्रीराम इण्डस्ट्रीयल एण्टरप्राइजेज लिमिटेड,  
सी-101, सेठी कॉलोनी, जयपुर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के. बैद  
उप राजकीय अभिभाषक  
अनुपस्थित

....अपीलार्थी की ओर से  
...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 2070/अतिआ(अपील)/20/98-99 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान द्वितीय जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.1997 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे "अधिनियम 1954" कहा जायेगा) की धारा 10 के आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर अपील आंशिक स्वीकार की है जिसके विरुद्ध विभाग राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी खाद्य तेल, साबुन, खाद एवं मशीनरी का विक्रेता व्यवसायी है। प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 22.05.1995 को किया गया। उक्त सर्वेक्षण जांच पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा जो कम्प्रेसर की रिपेयरिंग की गई है। उक्त रिपेयरिंग को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपवंचन माना गया। अपवंचन मानते हुए प्रत्यर्थी पर कर रुपये 74,112/- एवं ब्याज रुपये 26,320/- एवं उक्त राशि को करापवंचना मानते हुए शास्ति रुपये 1,46,274 आरोपित किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा कुछ कम एस.टी. 17 प्रस्तुत करने के फलस्वरूप कर रुपये 16,732/- एवं 49,521/- रुपये तथा उक्त राशि पर ब्याज क्रमशः रुपये 11,712/- एवं 34,665/- रुपये आरोपित किये हैं। प्रत्यर्थी द्वारा कैण्टीन स्टोर्स डिपार्टमेण्टल को माल बेचा जाता है एवं

25/

लगातार.....2

उक्त बिक्री के संबंध में "डी" फॉर्म प्राप्त किये जाते हैं। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा कम दिये गये फॉर्मो पर पर अतिरिक्त कर रूपये 6,683/- एवं 69,478/- रूपये तथा उपरोक्त राशियों पर ब्याज क्रमशः रूपये 4,678/- व 48,634/- रूपये आरोपित किये हैं, जिन्हें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2007 द्वारा कम्प्रेसर के बिन्दु पर व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुये कम्प्रेसर्स की बिक्री पर कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया है तथा कम रहे एसटी 17 एवं डी फार्म के बिन्दु पर 2 माह के भीतर व्यवहारी द्वारा शेष रहे घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर घोषणा पत्रों की जांच कर स्वीकार करने हेतु सक्षम माना है जिसके विरुद्ध विभाग राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3. व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कम्प्रेसर रिपेयर करके नहीं दिये हैं बल्कि अन्य कम्प्रेसर दिये गये हैं जो विक्रय की श्रेणी में होने के कारण कर देयता बनती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का निर्णय निरस्त किया जावे व कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

6. विचाराधीन प्रकरण में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा जो कम्प्रेसर सुधार कर कम्पनी से आये हैं क्या उन पर करारोपण विधिक है अथवा नहीं। कम्प्रेसर्स की रिप्लेसमेंट बिक्री के संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 36/95 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै. किल्लोस्कर ब्रदर्स लि. व अन्य समान प्रकरणों में निर्णय दिनांक 02.05.2002 द्वारा निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

As regards the point whether the transactions in question were in the nature of 'sale' within the meaning of section 2(0) of the Act, we need to appreciate the mode of dealing between the companies and their customers. In the facts on record, it has been the admitted case between the parties that the companies accept DC of its own customers after the expiry of the period of warranty and immediately replaces it from its floating stock by RC of the same model, of course with a different S.No., after collecting fixed repair/rebuilt charges. It is also not disputed

27

लगातार.....3

that the companies send all DC to their respective Service Centres for repair/rebuilding and receive the same back fully repaired/rebuilt after 4-6 weeks. It is also found true that all DC when these are received back duly repaired/rebuilt are entered in the Register kept for this purpose and properly accounted for. In the light of these facts, it can be safely inferred that the ownership of DC is not transferred by the customers in favour of the companies. they however, appear to be handing over their DC only for getting these back duly repaired/rebuilt; knowing fully well that the intended repair/rebuilding of DC would cost them certain repair/rebuilding

Property in goods can pass to another only when the transferee acquired ownership over the article transferred to him along with the right to sell it further for a valuable consideration, in this case, the customers never handed over their DC to the companies after receiving any valuable consideration from the companies but they did so only in the hope getting their DX back after due repair/rebuilding. Similarly, the companies provided another RC of the same model in exchange of DX to the customers without accepting any valuable consideration for the same and, therefore, such a mode of dealing between the companies and their customers with consent cannot be interpreted as the transactions of sale or purchase under the law. Even if, the assertion of the AA that the companies were engaged in the sale of their RC is accepted for argument's sake, it can not be said that any valuable consideration in law was ever received by the companies while providing RC to the customers. Valuable consideration in law, as has been held by the Hon'ble Supreme Court of India and many other Hon'ble High Courts in the cases referred to above in earlier paras could only mean money paid or promised. Thus viewed any consideration paid partly in cash and partly in kind cannot be taken lawfully as a valuable consideration relating to transfer of goods from one person to another. In this view of the matter, we are of the view that in all these cases, the replacement by way of exchange of DX by RX seems to have been provided by the companies instantly after collecting fixed repair/rebuild charges without waiting for actual repair time and, therefore, such a mode of dealing between the companies and their customers can at best be taken as a transaction of barter but surely not of 'sale'.

In the light of above, we answer the first point in the negative by holding that the transactions in question were not in the nature of sale because of there being no material on record to suggest that any price on transfer of property in goods either for DX or RC was ever paid or promised to be paid in monetary terms by either party.

Taking up to second point, we find from the facts on record that the companies recorded all the transactions relating to the replacement DC by RC after collecting fixed repair changes in their backs of accounts. However, they did not

28


disclose it in their Return. But we find merit in their arguments that they perhaps did no do so under a bonafide belief and influence of various judgements passed by Hon'ble.

उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में कम्प्रेसर्स की बिक्री पर जो कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है वह विधिक नहीं ठहरती है। अतः उपरोक्त कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया जाता है।

7. प्रकरण में द्वितीय विचारणीय बिन्दु कम रहे एसटी 17 एवं डी फार्म के बिन्दु पर 2 माह के भीतर व्यवहारी द्वारा शेष रहे घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर घोषणा पत्रों की जांच कर स्वीकार करने हेतु सक्षम माना जाने के संबंध में है, इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु मात्र समय प्रदान किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है तथा इस संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
(नत्थूराम)  
सदस्य